

फा. सं. 13035-14/2017/रा.भा.ए.

भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राजभाषा प्रभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक || जनवरी, 2018

विषय:- मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिए जाने वाले हिन्दी विज्ञापनों के संबंध में संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिश पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश, इस मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2017 के परिपत्र संख्या 13035-5/2017-रा.भा.ए. के अंतर्गत मंत्रालय के सभी व्यूरो तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों और तत्पश्चात् पुनः दिनांक 22 सितंबर, 2017 के समसंब्यक पत्र द्वारा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को परिचालित किए गए थे।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हाल ही में इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के निरीक्षणों के दौरान इन आदेशों का अनुपालन न किए जाने पर अत्यंत असंतोष व्यक्त किया। महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश एतद्वारा पुनः दोहराए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:

“मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिन्दी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।”

उक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए उसकी सूचना मंत्रालय को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

Director	Registrar
Dean (
HOD (
Branch Officer (


(सुखबीर सिंह संधु)

अपर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 011-23381097
फैक्स 011-23386903

प्रतिलिपि:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी व्यूरो।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
3. सीएमआईएस यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
4. गार्ड फाइल।